SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड भारत

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पीं. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

संख्या : 16/2020 दिनांक : 23 सितंबर, 2020

परिपत्र

विषय : ईयू देशों को मिर्च, मिर्च उत्पाद, जायफल तथा जायफल उत्पादों के निर्यात केलिए आधिकारिक (सरकारी) प्रमाणपत्र - सुगमतापूर्ण निर्यात सुकर बनाने हेतु स्पाइसेस बोर्ड की निर्यात समर्थन प्रणाली का अद्यतनीकरण - बाबत्

संदर्भ : समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12 दिसंबर, 2019

स्पाइसेस बोर्ड ने, संदर्भित परिपत्र के तहत, 01 जनवरी, 2020 से यूरोपीय संघ को चुने हुए मसालों के निर्यात हेतु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना प्रारंभ किया था। आगे, यूरोपीय आयोग ने 14 फरवरी, 2020 से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को आधिकारिक प्रमाणपत्र में बदल दिया था और तत्पश्चात् बोर्ड ऑफलाइन तरीके से आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन का प्रक्रमण करता आ रहा है।

वर्तमान में, भारत से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को मिर्च, मिर्च उत्पाद, जायफल एवं जायफल उत्पाद के निर्यात केलिए आधिकारिक प्रमाणपत्र एक अनिवार्य अपेक्षा है। साथ ही, भारत से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में, आमिश्रित खाद्य (Compound Food), रेडी टु ईट मदें आदि, जिनमें उपरोक्त मसालों की 20 प्रतिशत से अधिक मात्रा शामिल हैं (एकल उत्पाद के रूप में या इन उत्पादों के योग के रूप में), के निर्यात केलिए आधिकारिक प्रमाणपत्र अपेक्षित है।

निर्यात की सुगमता को सुकर बनाने तथा यूरोपीय संघ केलिए आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से, स्पाइसेस बोर्ड ने आधिकारिक प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन और प्रोसेसिंग केलिए निर्यात समर्थन प्रणाली (ईएसएस - http://www.indianspices.org.in/ESS) पोर्टल में नए प्रावधान जोड़ दिए हैं। ईएसएस में यह सुविधा 28 सितंबर, 2020 से उपलब्ध होगी।

निर्यातक, जिनको यूरोपीय संघ को निर्यात हेतु आधिकारिक प्रमाणपत्र अपेक्षित हैं वे, निर्यात के लिए अनुमति प्राप्त परेषण की कंटेनर-भराई केलिए सूचना देने से पहले, ईएसएस के ज़रिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आधिकारिक प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश, निर्यातकों द्वारा अवलोकन एवं अनुपालनार्थ ईएसएस में दिए गए हैं ।

निदेशक(विपणन)

सेवा में,
सभी पंजीकृत निर्यातक / सभी निर्यातक संघ
स्पाइसेस बोर्ड के सभी प्रादेशिक कार्यालय / ईडीपी - वेबसाइट में परिपत्र होस्ट करने केलिए

(फ़ाइल संख्या: विपणन-ईएनक्यू -डीजी/0001/2019 से जारी)